शिव रात्री मेला समिति, बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 21.03.2010 से 31.03.2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष, शिवरात्रि मेला समिति बैजनाथ/ मेला समिति के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	उपमंडल अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री कमल कान्त सरोच	13.02.09 से 01.11.10
2	श्री आई0एस0 भारद्वाज	02.11.10 से 10.05.12
3	श्री ज्ञान सिंह नेगी	10.05.12 से 09.01.13
4	श्री ओ0पी0 ठाकुर	31.01.13 से 31.10.13
5	श्री संदीप सूद	27.11.13 से 30.01.14
6	श्री रूगवेद ठाकुर	24.02.14 से 28.04.15

(ख) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को शिवरात्रि मेला समिति बैजनाथ के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। शिवरात्रि मेला समिति बैजनाथ द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा कोई सूचना/अभिलेख प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	6	मेला समिति द्वारा कुटेशने आमन्त्रित किए बिना ही खरीद करना	2.52
2	7	मेला समिति निधि से अनियमित रूप से भुगतान करना	0.87
3	8	मेला समिति द्वारा साऊंड सिस्टम की आपूर्ति के लिए अधिक भुगतान करना	0.32
4	9	मेला समिति द्वारा अनियमित रूप से ऋण की राशि का भुगतान करना	1.10
5	10	मेला समिति की स्मारिकाओं में विज्ञापन के प्रकाशन से सम्बन्धित राशि को विभिन्न विभागों से न वसूला जाना	1.00
6	12	मेला समिति द्वारा खरीदे गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टयाँ प्रस्तुत न करना	1.91
7	13	मेला समिति द्वारा भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना तथा ₹38300 की वास्तविक भुगतान की पावतियाँ/रसीदें प्रस्तुत न करना	2.03

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर संस्था द्वारा की गई कार्रवाई के अवलोकन के उपरान्त विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि वर्ष 1999 से 2004

1	पैरा–4	आंशिक निर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत
10	पैरा–13	अनिर्णीत
11	पैरा–14	अनिर्णीत
12	पैरा–15	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत
14	पैरा–17	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21	अनिर्णीत
19	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत
20	पैरा–22 (2)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2005 से 20.3.2010

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियाँ देख ली गई है)
5	पैरा–7	अनिर्णीत	
6	पैरा–8	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
7	पैरा–9	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	अनिर्णीत	
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	निर्णीत	(रसीदें व कार्रवाई देख ली गई है)
12	पैरा–14	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
13	पैरा–15	आंशिक निर्णीत	(वर्ष 2005 की रैफल टिकटों पर कार्रवाई देख ली गई है तथा वर्ष 2007 वर्ष 2008 तथा वर्ष 2009 की रैफल टिकटों पर कार्रवाई देखनी शेष है)
14	पैरा–16	अनिर्णीत	
15	पैरा–17	अनिर्णीत	

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

शिव रात्रि मेला समिति बैजनाथ के अवधि 21.3.2010 से 31.03.2015 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 8.6.2015 से 20.6.2015 के दौरान बैजनाथ में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/11, 2/12, 3/13, 2/14 व 2/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/11, 2/12, 3/13, 3/14 व 2/15 चयनित किये गये।

3 अंकेक्षण शुल्क

शिव रात्रि मेला समिति बैजनाथ के अवधि 21.3.2010 से 31.3.2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹9000/— आँका गया, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171009 को भेजने हेतु अध्यक्ष मेला समिति से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 113 दिनाँक 20.6.15 द्वारा अनुरोध किया गया। मेला समिति द्वारा इस राशि को संस्था द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 526926 दिनाँक 8.7.15 द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

शिव रात्रि मेला समिति बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत मेला समिति की अवधि 21.3.2010 से 31.3.2015 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर वर्णित है।

5 रोकड़ बही का रख—रखाव नियमानुसार न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि जब भी रोकड़ बही में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत ईन्द्राज हो जाता है, तो मेला समिति द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुनः लिखने के स्थान पर गलत मद के ईन्द्राज के उपर ही उसे ठीक कर दिया जाता है, जोकि अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कोई भी मासिक विवरण नहीं दिया गया है, जिस कारण संस्था की वित्तीय स्थिति की जाँच व बैंक से मिलान करने में अत्याधिक कठिनाई उठानी पड़ी। रोकड़ बही में पाई गई उक्त अनियमितताओं को उप—मण्डल अधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष शिवरात्रि मेला समिति के साथ चर्चा के दौरान ध्यान में लाया गया

व उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढ़ंग से तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर नई प्रविष्टि को पुनः लिखा जाए एवं इसे सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित भी करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येंक माह में प्राप्त कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर तथा हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 मेला समिति द्वारा कुटेशने आमन्त्रित किए बिना ही ₹252513 की खरीद न करने बारे

मेला समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार एच0पी0एफ0आर0 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक की खरीद बिना कुटेशनें आमन्त्रित किए की गई है, जबकि कुटेशनों के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। अतः कुटेशनों के अभाव में अंकेक्षण द्वारा भुगतान की गई दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना कुटेशनों के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

फर्म का नाम	विवरण	वा0/बिल संख्या	माह/दिनांक	राशि
मै0 दयामी टैन्ट हाउस पालमपुर	लाईटिंग, मेन बाजार रेस्टहाउस, शिवमन्दिर	135	29.2.12	51270
मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	ब्रेक फास्ट, लंच व डिनर	6064	29.2.12	74158
मै0 पवन फलावर पालमपुर	100 हार 28 बुकें	शून्य	23.3.13	20000
मै0 अक्षय स्पोर्टस भवारना	40 ट्राफी	753	23.3.13	10085
मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	धाम (लंच)	शून्य	23.3.13	28000
मै0 अक्षय स्पोर्टस भवारना	46 ट्राफी	349	18.3.14	13000
मै0 रैना हैंडलूम बैजनाथ	शाल, टोपी व लोई	19793	7.3.14	3200
मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	लाईटिंग	212	4.3.14	10000
मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	धाम (लंच)	213	4.3.14	32000

मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	बैंडिंग	211	4.3.14	7200
मै0 रवि कुमार पपरोला	मैदान की सफाई	9	24.3.14	3600
			योग	**₹252513**

7 **मेला समिति निधि से अनियमित रूप से ₹87065/– का भुगतान करने बारे**

जाँच के दौरान पाया गया कि मेला समिति द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार जों व्यय किया गया, वह मेला निधि पर उचित प्रभार नहीं है।

फर्म का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनांक	राशि
मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	मेले के पश्चात धाम (लंच)	शून्य	23.3.13	28000
एस0डी0ओ0 बीएसएनएल	कार्यालय, टेलीफोन बिल	0574196	26.3.13	4096
मै0 सन्नी लाईट एंड टैंन्ट हाउस बैजनाथ	मेले के पश्चात धाम (लंच)	213	4.3.14	32000
एस0डी0ओ0 बिजली बोर्ड	कार्यालय, टेलीफोन बिल	304055, 59, 60	25.6.13	22969
			योग	**₹87065**

अतः उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त व्यय की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके इसे मेला निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **मेला समिति द्वारा साऊंड सिस्टम की आपूर्ति के लिए ₹31900/– का अनुचित रूप से अधिक भुगतान करने बारे**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011 के शिवरात्रि मेले के लिए साउंड सिस्टम की आपूर्ति के लिए मै0 पंकज साउंड सिस्टम बैजनाथ को चैक संख्या 406806 दिनाँक 11.3.11 द्वारा ₹65000/– का भुगतान किया गया। इस आपूर्ति हेतु निम्नलिखित निविदाएँ आमन्त्रित की गई थीः–

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	राशि
1	मै0 पंकज साउंड सिस्टम बैजनाथ	10.2.11	85000
2	मै0 साईं ऑडियो केयर बैजनाथ	19.2.11	65000
3	मै0 अजय डी0जे0एंड साउंड बैजनाथ	बिना दिनांक	150000

उक्त क्रम संख्या 2 में वर्णित फर्म के पास सामान पूरा न होने के कारण उनके द्वारा साउंड सिस्टम की आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया गया व उक्त कार्य को पुनः क्रम संख्या

1 को आबंटित किया, परन्तु मेला समिति द्वारा इसके लिए क्रम संख्या 2 द्वारा दर्शाई ₹65000/– का ही भुगतान किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2014 के शिवरात्रि मेले के लिए सांउड की आपूर्ति के लिए मै0 पंकज साउंड सिस्टम बैजनाथ को चैक संख्या 006695 दिनाँक 15.3.14 द्वारा ₹77900/– का भुगतान किया गया। इस आपूर्ति हेतु निम्नलिखित निविदाएँ आमन्त्रित की गई थीः–

क्र0सं0	**फर्म का नाम**	**दिनाँक**	**राशि**
1	मै0 आनन्द साउंड बैजनाथ	05.2.14	46000
2	मै0 ऑडियो डिजाईन बैजनाथ	05.2.14	78000
3	मै0 पंकज साउंड सिस्टम बैजनाथ	06.2.14	77900
4	मै0 ओम ऑडियो बैजनाथ	06.2.14	301500
5	मै0 साईं ऑडियो केयर बैजनाथ	06.2.14	85000

उक्त क्रम संख्या 1 में वर्णित फर्म के पास सामान पूरा न होने के कारण उनके द्वारा साउंड सिस्टम की आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया गया व उक्त कार्य पुनः क्रम संख्या 3 वाली फर्म को आंबटित किया, परन्तु मेला समिति द्वारा इसके लिए क्रम संख्या 3 की फर्म निविदा में दर्शाई ₹77900/– का भुगतान किया गया जोकि उचित नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार वर्ष 2011 में न्यूनतम राशि के आधार पर भुगतान किया गया था, उसी प्रकार वर्ष 2014 में भी न्यूनतम राशि के आधार पर ₹46000/– का भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार मै0 पंकज साउंड सिस्टम बैजनाथ को कुल (77900–46000=31900) का अधिक भुगतान किया गया, जो कि उचित नहीं है। अतः अधिक भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृत से नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹31900/– की वसूली उचित स्त्रोत से कर मेला निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में उक्त प्रकार के कार्य की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने के साथ–साथ जमानत राशि वसूलने तथा कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में जमानत राशि जब्त करने का भी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि उक्त प्रकार की स्थिति पुनः उत्पन्न हो सके।

9 मेला समिति द्वारा अनियमित रूप से ऋण की ₹110000/– का भुगतान करने बारे

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मेला समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार ऋण के रूप में ₹110000/– का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। इन राशियों का शिवरात्रि मेले से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि जाँच में पाया गया ऋण की यह राशियाँ एस0डी0एम0 के घर की मुरम्मत हेतु जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया

गया कि इन ऋण की राशियों को वापिस नहीं वसूला गया है, जबकि इन राशियों को भुगतान किये लगभग तीन वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः इन राशियों को तुरन्त उचित स्त्रोत से वसूल करके मेला निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

क्र0सं0	शाखा	चैक सं0	दिनांक	राशि
1	उप मण्डल अधिकारी	006658	28.6.12	10000
2	उप मण्डल अधिकारी	006659	19.7.12	100000
			योग	**110000**

10 मेला समिति की स्मारिकाओं में विज्ञापन के प्रकाशन से सम्बन्धित ₹100000/– को विभिन्न विभागों से न वसूला जाना

वर्ष 2011 से वर्ष 2015 में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के विज्ञापन मेला समिति की स्मारिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, परन्तु इन विभागों/संस्थाओं द्वारा निम्नविवरणानुसार स्मारिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों हेतु विज्ञापन शुल्क की ₹100000/– मेला समिति निधि में जमा नहीं करवाई गई है, परिणामस्वरूप इस राशि को उचित समय पर वसूल न करके मेला समिति को निश्चित तौर पर ब्याज की भी हानि हुई है। इस प्रकार विज्ञापन शुल्क की वसूली करने हेतु शिवरात्रि. मेला समिति द्वारा कोई भी प्रभावी कार्रवाई न करना मेला समिति की कार्य प्रणाली से लापरवाही दर्शाता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इन राशियों को सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से अविलम्ब वसूल करके मेला निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0 सं0	विभाग/संस्था का नाम	विज्ञापन पेज का आकार	प्रकार	वर्ष	पेज की सं0	विज्ञापन दर	विज्ञापन की देय राशि
1	लोक निर्माण विभाग बैजनाथ उप मण्डल	पूर्ण पृष्ठ	साधारण	2011	1	10000	10000
2	डी0आर0डी0ए0 हमीरपुर	आधा पृष्ठ	साधारण	2012	1	5000	5000
3	एम0एम0एस0 (कृषि)	पूर्ण पृष्ठ	साधारण	2012	1	10000	10000
4	सूचना एवं जन सम्पर्क	पूर्ण पृष्ठ	साधारण	2013	1	10000	10000
5	जिला रेड क्रॉस सोसाईटी	आधा पृष्ठ	साधारण	2014	1	5000	5000

6	सूचना एवं जन सम्पर्क	पूर्ण पृष्ठ	रंगीन	2015	1	20000	20000
7	डी0आर0डी0ए0 शिमला	तीन चौथाई	रंगीन	2015	1	15000	15000
8	ई–गवर्नैन्स सो0 मंडी	तीन चौथाई	रंगीन	2015	1	15000	15000
9	निदेशक, सिविल सप्लाई, शिमला	पूर्ण पृष्ठ	साधारण	2015	1	10000	10000
						योग	**100000**

11 कार/टैक्सी के किराये के रूप में ₹2700/– का अधिक भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मेला समिति द्वारा दिनाँक 23.3.11 को श्री सुरजीत सिंह, प्रधान शिवा टैक्सी यूनियन बैजनाथ को शिवरात्रि मेले के दौरान टैक्सी के किराये के रूप में कुल ₹15900/– का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त यूनियन द्वारा Maxi Cab का प्रति दिन का किराया ₹1400/– व Car Taxi का प्रतिदिन का किराया ₹1100/– दर्शाया गया है तथा मेले के दौरान तीन गाड़ियों का प्रयोग किया गया दर्शाया गया है। इस सन्दर्भ में यूनियन द्वारा दिए बिलों व वास्तविक भुगतान रसीद में तीनों गाड़ियों को Car Taxi दर्शाया गया है, जबकि मेला समिति द्वारा दो गाड़ियों का Maxi Cab का किराया ₹1400/– की दर से प्रतिदिन की दर से किया गया है, परिणामस्वरूप मेला समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹2700/– का अधिक भुगतान किया गया है। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके मेला निधि में जमा की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

बिल सं0	गाड़ी नं0	अवधि व दिन	भुगतान योग्य दर	भुगतान की गई कुल राशि	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की दर	अधिक भुगतान राशि (7–6)
66	एचपी–01–डी–2722	2 से 5 मार्च, 2011=4 दिन	1100	5600	4400	1400 प्रतिदिन	1200
67	एचपी–01–डी–2921	2 से 6 मार्च, 2011=5 दिन	1100	7000	5500	1400 प्रतिदिन	1500
						योग	**₹2700**

इसके अतिरिक्त उपरोक्त टैक्सी के बिलों में किलोमीटर नहीं दर्शाए गए थे। अतः प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में इस प्रकार के भुगतान, प्रधान सचिव परिवहन, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (5) 3/2003 दिनाँक 25.8.11 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही किये जाने सुनिश्चित किए जाये।

12 मेला समिति द्वारा खरीदे गये ₹191699 के सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ प्रस्तुत न करने बारे

जाँच में पाया गया कि शिव रात्रि मेला समिति द्वारा निम्नलिखित सामान खरीदा गया, परन्तु खरीदे गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा इस खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस खरीद हेतु भुगतान की गई ₹191699/– की वसूली उचित स्त्रोत से कर यह राशि सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाये।

फर्म का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनांक	राशि
मै0 सेठी टेंट हाउस अमृतसर	30 कुर्सिया	295	8.3.11	7500
मै0 हिम बुनकर कुल्लू	7 चादर, 3 टोपियाँ, 2 शाँल	69941, 103669	10.3.11	7605
मै0 हैडलूम वीवर भूंतर	5 टोपियाँ	2889	4.3.11	1815
मै0 भूटिको एम्पोरियम कुल्लू	2 शाल, 2 लोई	424	4.3.11	3020
मै0 विनवा प्रिटिंग प्रैस बैजनाथ	150 कॉपी	215	11.11.10	2850
मै0 ग्रोवर क्लॉथ हाउस पपरोला	350 दुपट्टा 471 साफा	532	9.3.11	38100
मै0 रैना हैंडलूम बैजनाथ	7 लोई 7 टोपियाँ	7235	15.3.13	7237
मै0 विकास क्लॉथ हाउस बैजनाथ	322 साफा, 157 दुपट्टा	315	10.3.13	25000

मै0 पवन फ्लावर पालमपुर	100 हार, 28 बुके	शून्य	23.3.13	20000
मै0 रंजन बुक हाउस बैजनाथ	12 मूमेन्टोज 8 विकेट, 4 बैल्स, 3 शटल कॉक	3816, 3818	23.3.13	3860
मै0 अक्षय स्पोर्टस पालमपुर	40 ट्राफी	753	23.3.13	10085
मै0 अक्षय स्पोर्टस पालमपुर	46 ट्राफी	349	24.2.14	13000
मै0 कृष्णा एचपी डीलर बैजनाथ	जनरेटर सेट हेतु 110 लीटर डीजल	009	18.3.14	6113
मै0 रैना हैंडलूम बैजनाथ	2 शाल, 5 टोपी, 1 लोई	19793, 13335	7.3.14	4314
मै0 गिरी राज इंटरप्राईजेज बैजनाथ	253 शिवरात्रि पत्रिका	221	12.3.14	19200
मै0 ग्रोवर क्लॉथ हाउस पपरोला	405 साफा 100 दुपट्टा	410	24.3.15	22000
			योग	**191699**

13 मेला समिति द्वारा भुगतान की गई ₹203930/– से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे तथा ₹38300/– की वास्तविक भुगतान की पावतियाँ/रसीदें प्रस्तुत न करने बारे

(क) मेला समिति बैजनाथ की रोकड़ बही में निम्नविवरणानुसार ₹203930/– का जो भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया दर्शाया गया है, उनसे सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस कारण व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित बिल/वाउचरों को ढूंढ़कर सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

फर्म का नाम	चैक संख्या	दिनांक	राशि
डी0पी0आर0ओ0 धर्मशाला	544207	15.3.11	7000
श्री कुलदीप सिंह गुलेरिया ए0पी0आर0ओ0 धर्मशाला	544209	15.3.11	2000
मै0 राकेश कुमार बैजनाथ	544213	15.3.11	15480
श्री देश राज जोगिन्द्रनगर	906455	28.2.12	4250

मै0 पवन फ्लावर पालमपुर	906458	29.2.12	13000
एच0आर0टी0सी0 बैजनाथ	000036	16.2.15	25000
मै0 कटोच टैन्ट हाउस पपरोला	000034 व 49	13.2.15 व 26.2.15	137200
		योग	**203930**

(ख) इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 21.2.15 को बेबी शो, चेयर रेस, मटका रोड रेस रंगोली प्रतियोगिता व देवताओं को नजराने के रूप में ₹38300/– नकद ईनाम के रूप में वितरित की गई दर्शाई गई है, परन्तु उक्त राशि प्राप्त करने की वास्तविक प्राप्तकर्ता से प्राप्त रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में भुगतान की वास्तविकता की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः वाँछित रसीदें प्राप्त कर के जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये।

14 मेला निधि से स्टेज की मुरम्मत का कार्य करवाने हेतु भुगतान की गई ₹175000/– से सम्बन्धित प्राकलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे

मेला निधि से माह 2/13 में बी0डी0ओ0 बैजनाथ को इंदिरा गाँधी स्टेडियम में शिवरात्रि मेले हेतु स्टेज की मुरम्मत के कार्य हेतु ₹175000/– का भुगतान चैक संख्या 906474 दिनाँक 26.2.13 द्वारा किया गया। इस प्रकरण में अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) उक्त मुरम्मत का कार्य करवाने से पहले कार्य की तकनीकी रूप से अनुमानित लागत तैयार नहीं की गई। अतः बिना प्राकलन (Estimate) तैयार करवाए उक्त राशि बी0डी0ओ0 बैजनाथ को जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) उपरोक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि उक्त राशि को जारी किये हुए दो वर्ष से अधिक हो चुका है। अतः उपरोक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाने सुनिश्चित किए जाएं।

15 मेला समिति द्वारा ₹5000/– की रैफल टिकटों व अन्य रैफल टिकटों का लेखांकन न किया जाना

(क) अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार जो रैफल टिकटें व अन्य टिकटें (बिना अंकित मूल्य वाली), जिन–जिन संस्थाओं/अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी की गई थी, उनके द्वारा जारी टिकटों के एवज में न तो टिकटों की राशि मेला समिति निधि में

जमा करवाई गई है तथा न ही इन टिकटों को वापिस लौटाया गया हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन टिकटों के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मेला समिति बैजनाथ को परामर्श दिया जाता है कि उच्च स्तरीय जाँच के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त उल्लेखित रैफल टिकटों को सम्बन्धित संस्थाओं/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वास्तव में विक्रय किया है या नहीं? यदि वास्तव में रैफल टिकटें बेची गई हैं तब भी सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित संस्थाओं/अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए अन्यथा बिना विक्रय की शेष बची रैफल टिकटों को सम्बन्धित संस्थाओं/अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

वर्ष	**जिसे टिकटें जारी की गई**	**जारी की गई टिकटों का क्रमाँक व मात्रा**	**प्रति टिकट मूल्य**	**बिना बेचे वापिस जमा करवाई टिकटें**	**जमा करवाने वाली राशि**	**जमा करवाई गई राशि**	**जमा न करवाई राशि**
2/10	सरस्वती पब्लिक स्कूल बैजनाथ	21801 से 21900 व 23201 से 23400 100+200= 300 नं0	10 तथा 5	शून्य	1000+1000 =2000	शून्य	2000
3/12	अधीक्षक, आयुर्वेदा कॉलेज पपरोला	8001 से 8100=100 नं0	10	शून्य	2000	शून्य	1000
3/12	प्रधानाचार्य, आयुर्वेदा कॉलेज पपरोला	8501 से 8700=200 नं0	10	शून्य	-------	शून्य	2000
						योग	5000
3/12	श्री रणविजय, सुपरवाईजर	227 से 250 =24 नं0	बिना मूल्य	शून्य	-------	शून्य	शून्य
3/12	श्री विजय, क्लर्क	328 से 350=23 नं0	बिना मूल्य	शून्य	-------	शून्य	शून्य

3/12	श्री जर्मसिंह, अधीक्षक	657 से 675=19 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
3/13	अधीक्षक	001 से 50=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	बी0ई0ई0ओ0 बैजनाथ	80 से 100=21 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री संजीव, लाईसेन्स क्लर्क	222 से 250=29 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री संजीव कलोत्रा, क्लर्क	151 से 200 401 से 450=100 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री तिलक राज शर्मा	251 से 300=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री यशवीर पठानिया, पटवारी	301 से 400=100 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
3/14	अधीक्षक,एस0 डी0एम0 कार्यालय	301 से 400 व 501 से 600=200 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री श्याम पाल	801 से 900=100 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
2/15	ई0टी0ओ0 बैजनाथ	1001 से 1050=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री सुभाष चन्द, आर0ओ0 बैजनाथ	1451 से 1500=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य
	श्री कृष्ण सिंह आर0ओ0 बीड	1501 से 1550=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	————	शून्य	शून्य

	श्री मोहिन्दर, निरीक्षक, कोपरेटिव सोसाईटी	1801 से 1850=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	———————	शून्य	शून्य
	श्री सन्तोष राणा	1901 से 1950=50 नं0	बिना मूल्य	शून्य	———————	शून्य	शून्य

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि रैफल टिकट रजिस्टर में कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के पद नाम व उनके कार्यालय का पता इत्यादि नहीं दर्शाया गया है, जोकि अनुचित है। अतः रैफल टिकट रजिस्टर में अधिकारी/कर्मचारी का पद नाम व कार्यालय का पूर्ण पता दर्शाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 लॉग बुक प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनाँक 28.3.2014 व 19.2.2015 को श्री विनय कुमार ड्राईवर को क्रमशः अग्रिम ₹9750 व अग्रिम ₹10000/– अर्थात कुल अग्रिम ₹19750 पैट्रोल डलवाने हेतु दी गई है, परन्तु अग्रिम राशि से किए गए व्यय के समर्थन में प्रस्तुत बिलों से सम्बन्धित गाड़ी की लॉग बुक में प्रविष्टि करने की सत्यापना नहीं की जा सकी, क्योंकि उक्त चालक द्वारा गाड़ी की लॉग बुक प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त मेला समिति निधि से सरकारी गाड़ी में तेल डलवाने हेतु अग्रिम राशि दिए जाने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

17 मेला निधि से ₹10000 से अधिक का भुगतान ई–बैकिंग से न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि संस्थाध्यक्ष द्वारा उक्त निधि से ₹10000/– से अधिक के भुगतान चैक के माध्यम से किये जा रहे हैं, जबकि वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) ए (3)–5/2004 दिनाँक 23.8.11 अनुसार ₹10000/– से अधिक के भुगतान ई–बैकिंग (RTGS) इत्यादि द्वारा किये जाने अपेक्षित थे। अतः उक्त अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 आय से अधिक खर्च करने बारेः–

अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मेला समिति द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में आय से अधिक राशि व्यय की गई है, जोकि उचित नहीं

है। अतः अधिक व्यय की गई राशि को नियमित करवाने के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

वर्ष	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष में किया व्यय	व्यय प्रतिशत
2012–13	1622645	1996678	123%
2013–14	1652984	1661452	100.51%
2014–15	2357662	2809198	119%

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्षः–** शिवरात्रि मेला समिति बैजनाथ के लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)235/04 खण्ड–1–5876–5881, 7.10.15 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद एवं सदस्य सचिव, शिवरात्रि मेला समिति बैजनाथ को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. उप मण्डल अधिकारी बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
3. जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0
4. निदेशक, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9
5. अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हि0प्र0 शिमला–2
6. श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.